फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राव देवेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह निवासी बिसलपुर तहसील बाली		राजस्थान सरकार जरिये जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध GCMS NO. 2025/794

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
31/12/25	प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने ग्राम बिसलपुर में रेगर कॉलोनी में सरकारी भूमि खसरा नंबर 1400/1, खसरा नंबर 2682/1401, 2687/1404, 2690/1408 में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते की तरमीम मौके की स्थिति के विपरित होने से नक्शे में तरमीम शुद्धि का आवेदन इस न्यायालय में पेश किया। प्रस्तुत आवेदन पत्र के सबंध में तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट लिये जाने पर तहसीलदार, बाली ने मौके व रेकर्ड की जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2025/3670 दिनांक 26.12.2025 से रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में वर्णित किया कि प्रार्थना पत्र के सबंध में पटवारी हल्का, बिसलपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बिसलपुर में खसरा नंबर 2685/1404, 2682/1401, 2688/1404 जो कि गै.मु. रास्ता दर्ज हुआ हैं। उपरोक्त रास्ता ऑनलाईन तरमीम करते समय त्रुटिवश मौके पर चल रहे कदीमी रास्ता के अनुसार नहीं हुई हैं। अतः उपरोक्त खसरा नंबर 2685/1404, 2682/1401, 2688/1404 की तरमीम संलग्न नक्शा अनुसार शुद्ध किया जाना उचित हैं। प्रकरण राजस्व विविध में पंजिबद्ध किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इस सबंध में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट संलग्न तरमीम शुदा नक्शे की स्थिति के अवलोकन से यह ज्ञात है कि उक्त रास्ता सीधा व कम दूरी का है, जबकि संशोधन के लिये प्रस्तावित नक्शा घुमावदार व अधिक दूरी का है। तथा प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि जो रास्ता चल रहा है, वह राजकीय सिवायचक मेंसे ही है, ऐसे उक्त प्रार्थना पत्र निरर्थक प्रतीत होता है, तथा नक्शे में हुई तरमीम की अशुद्धि को भी प्रमाणित नहीं करता है। जिससे प्रार्थी के आवेदन अनुसार नक्शे में तरमीम शुद्धि के आदेश पारित किया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम बिसलपुर में रेगर कॉलोनी में सरकारी भूमि खसरा नंबर 1400/1, खसरा नंबर 2682/1401, 2687/1404, 2690/1408 में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते नक्शे में तरमीम शुद्धि का आवेदन खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)	